रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-270027
CG-DL-E-10022026-270027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947
No. 642] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 676(अ).— केंद्रीय सरकार, "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025 (2025 का 11) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी परिनियम, 2025 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी (संशोधन) परिनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी परिनियम, 2025 में :—

(क) परिनियम 8 में, (2) के स्थान पर, क्रम संख्या (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(vii) सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर के दो अधिकारी गण – सदस्य पदेन;";

(ख) परिनियम 9 में, (2) के स्थान पर,—

(i) क्रम संख्या (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vii क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात के प्रतिनिधि - सदस्य;";

(ii) क्रम संख्या (viii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) चक्रानुक्रम से तीन वर्षों के लिए कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड और तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड में से किसी एक का एक प्रतिनिधि - सदस्य;";

(iii) क्रम संख्या (viii) के बाद होने वाले क्रम संख्या "(vi) और (vii)" को क्रमशः क्रम संख्या "(ix) और (x)" के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा ।

[फा. सं. के-17/1/2025-एमओसी]

आनंद कुमार झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 676(E).— In exercise of the powers conferred by section 33 of the "Tribhuvan" Sahkari University Act, 2025 (11 of 2025), the Central Government hereby makes the following statutes to amend the "Tribhuvan" Sahkari University Statutes, 2025, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These Statutes may be called as the "Tribhuvan" Sahkari University (Amendment) Statutes, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Tribhuvan" Sahkari University Statutes, 2025 :—

(a) in statute 8, in substitute to (2), for serial number (vii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(vii) Two officers of the Joint Secretary and above level from the Ministry of Cooperation - Members, ex-officio;";

(b) in statute 9, in substitute to (2),—

(i) after serial number (vii) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"(viia) Representative of National Dairy Development Board, Gujarat - Member;";

(ii) for serial number (viii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(viii) One representative from one amongst Karnataka Cooperative Milk Producers' Federation Limited and Tamil Nadu Cooperative Milk Producers' Federation Limited, by rotation, for three years - Member;";

(iii) serial numbers "(vi) and (vii)" occurring after serial number (viii) shall be renumbered as serial numbers "(ix) and (x)" respectively.

[F. No. K-17/1/2025-MoC]

ANAND KUMAR JHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.10 21:51:53 +05'30'